

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/2020/ 27

दिनांक 27-08-2020

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शों में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करें।

पटवार मण्डल :- शेरगढ

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020/00210	3757 23.07.2020	शेरगढ	25	0.3317 है.	गै.मु.बरडा	25	0.3317 है.	गै.मु. रास्ता
				80	5.3799 है.	दाती	80	1680मीटर	
				37	2.6697 है.	गै.मु.दाती	37	2320मीटर	
				3474/11	0.9870 है.	गै.मु.दाती	11/1	1760मीटर	
2	2020/00209	3756 29.07.2020	शेरगढ	1066	0.2346 है.	गै.मु.रास्ता	1066	0.2346 है.	गै.मु. रास्ता
				1083	0.2427 है.	बारानी 3	1083	192मीटर	
				1086	2.9609 है.	बारानी 3	1086	2000मीटर	
				3694/1095	0.9384 है.	बारानी 3	3694/1095	2000मीटर	
				1157	2.9529 है.	आबी 3	1157	2000मीटर	
				1097	3.2684 है.	आबी 3	1097	960 मीटर	
				3699/1096	1.7639 है.	आबी 3	3699/1096	640 मीटर	
				1644	7.0545 है.	गै.मु.बरडा	1644	3360 मीटर	
				1645	13.1301 है.	गै.मु.बरडा	1645	2000 मीटर	

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

